संख्या-40/2021/1423 ई-2/तेरह-2021-225107

प्रेषक,

उमेश कुमार तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊःदिनांकः 09 अगस्त, 2021

विषय- मेसर्स सक्सेरिया बिसवां सुगर फैक्ट्री लिमिटेड, आसवनी इकाई बिसवां, जनपद सीतापुर को बी-हैवी शीरे से अल्कोहल उत्पादन किये जाने की दशा में अधिष्ठापित क्षमता में अंतरिम रूप से 24.62 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं.-जी-17/दो-प्रा.डी.-115/दिनांक 26 जुलाई 2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उपर्युक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के औद्योगिक एवं राजस्व हित में मेसर्स सक्सेरिया बिसवां सुगर फैक्ट्री लिमिटेड, आसवनी इकाई बिसवां, जनपद सीतापुर को बी-हैवी शीरे से अल्कोहल निर्माण किये जाने के कारण स्वीकृत क्षमता **65** कि. ली. प्रतिदिन अर्थात् वर्ष में **300** कार्य दिवस के आधार पर **195** लाख लीटर वार्षिक से अन्तरिम रूप से **24.62** प्रतिशत बढ़ाकर **81** कि. ली. प्रतिदिन अर्थात् वर्ष में **300** कार्य दिवस के आधार पर **243** लाख लीटर वार्षिक किये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि आसवक द्वारा शासनादेश दिनांक **01.02.2021** में लगायी गयी शर्तों एवं उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रमाण पत्र दिनांक **01.06.2021** के अन्तर्गत लगायी गयी शर्तों का अनुपालन करते हुए अल्कोहल का उत्पादन कार्य किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त इकाई को सी.पी.सी.बी/ यू.पी.सी.बी के मानको के अनुसार आसवनी में शून्य उत्प्रवाह को सुनिश्चित करते हुए केन्द्र /राज्य सरकार द्वारा स्थापित /विद्यमान समस्त विधियों /सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना भी अनिवार्य होगा।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(उमेश कुमार तिवारी)
उप सचिव।

http://srisanadesh.up.gov.in